पत्र संख्या–6 / योजना–01–20 / 2015गृ0आ0........................ /

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

विषयः– **पटना जिलान्तर्गत पटना शहर में अग्निशमन कार्य के लिए अग्निशामक वाहनों में पानी उपलब्ध कराने हेतु 45 स्थानों में(जलमीनार / पम्पिंग स्टेशन के पास) फायर हाईड्रेण्ट लगाने हेतु मॉडल प्राक्कलन के आधार पर कुल लागत राशि ₹ 45.585 लाख (पैंतालीस लाख अंठावन हजार पाँच सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 45.585 लाख (पैंतालीस लाख अंठावन हजार पाँच सौ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक समादेष्टा, गृह रखा वाहिनी–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–3061, दिनांक–18.08.2016 के संबंध में कहना है कि पटना शहर में अग्निशमन कार्य के लिए अग्निशामक वाहनों में पानी उपलब्ध कराने हेतु कुल 45 स्थानों में (जलमीनार / पम्पिंग स्टेशन के पास) फायर हाईड्रेण्ट लगाने हेतु मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति अद्द ₹ 1,01,300 (एक लाख एक हजार तीन सौ रू0) की दर से कुल लागत राशि ₹ 45.585 लाख (पैंतालीस लाख अंठावन हजार पाँच सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 45.585 लाख (पैंतालीस लाख अंठावन हजार पाँच सौ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 45.585 लाख (पैंतालीस लाख अंठावन हजार पाँच सौ रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या– 22 के बजट शीर्ष –"4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–051–निर्माण– उपशीर्ष–0101–भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशाम सेवा", विपत्र कोड–P4070000510101 तथा राज्य योजना स्कीम कोड–HOM-5422 एवं विषय शीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका सं0–6 / योजना–01–20 / 2015गृ0आ0 के पृ0–10 / टि0 पर दिनांक–31.08.2016 को प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6 / योजना–01–20 / 2015गृ0आ0 के पृ0–12 / टि0 पर दिनांक–06.09.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0 :–6 / योजना–01–20 / 2015 गृ0आ0.........7430........... / पटना, दिनांक 15 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महानिदेशक– सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।